उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्टर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा/ 34 /2025–26 दिनांकः 05 जून 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत **सहायक अध्यापक (प्राईमरी) एवं सहायक अध्यापक एल0टी0 (कम्प्यूटर शिक्षा)** की दिनांक 02–03–2025 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या–परीक्षा (गोपन)/20/2025–26 दिनांक 30–05–2025 के द्वारा अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई। उक्त के अतिरिक्त आयोग की विज्ञप्ति संख्या–परीक्षा (गोपन)/76/2025–26 दिनांक 04–06–2025 के द्वारा **उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय एवं सूचना सहायक/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सूचीकार** की दिनांक 22–03–2025 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई।

उपरोक्त लिखित परीक्षाओं के आधार पर अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूचियाँ आयोग की वेबसाईट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड हैं। उपरोक्त पदों की औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का निम्नांकित तिथि को अंकित Serial Number (S.No.) के अनुसार सन्निरीक्षा आयोग कार्यालय में किया जायेगा।

:: अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित कार्यक्रम ::

क्र. सं.	पदनाम	अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि	
		Serial Number (S.No.)	सन्निरीक्षा तिथि
1	सहायक अध्यापक (प्राईमरी)	01 से 22 तक	**10 जून, 2025 (मंगलवार)**
	सहायक अध्यापक एल0टी0 (कम्प्यूटर शिक्षा)	01 से 13 तक	
	उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय एवं सूचना सहायक/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सूचीकार	01 से 11 तक	

अतः औपबन्धिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की सन्निरीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 06 पास–पोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **निर्धारित तिथि को प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अन्तर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकायें, प्रमाण पत्र एवं स्थाई निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. **आरक्षण (EWS/OBC/SC/ST/PH/EX/DFF/) का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो**, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. **सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को सत्यापन के समय विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
5. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
6. अभिलेखों की सन्निरीक्षा **हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सन्निरीक्षा में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र** संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियों (अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
7. अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। पृथक से किसी दशा में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।

8. यदि सन्निरीक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
9. अभ्यर्थियों के द्वारा **उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय एवं सूचना सहायक/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सूचीकार** पद हेतु ऑनलाईन प्राथमिकता (Preference) भरना अनिवार्य है। ऑनलाईन विकल्प (Preference) हेतु आयोग की वेबसाईट पर लिंक दिया गया है। ऑनलाईन विकल्प भरने हेतु **यूजर आई0डी0–अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड–जन्म तिथि** होगी। ऑनलाईन भरे गये विकल्पों को सबमिट करने के बाद दो प्रतियो में प्रिन्ट निकालना है। एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने सन्निरीक्षा की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विकल्प/वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित/परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
10. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

(हिमांशु कफल्टिया)
प्रभारी सचिव